



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 कार्तिक, 1946 (श०)

संख्या - 706 राँची, शुक्रवार, 1 नवम्बर, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

25 सितम्बर, 2024

संख्या-5/आरोप(कोर्ट केस)-5-4/2021 का०-6211--श्री उमेश प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-360/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विशुनपुर गुमला के विरुद्ध उपायुक्त गुमला के पत्रांक-1987/गो०, दिनांक 13.10.2005 द्वारा प्रपत्र 'क' में आरोप उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र-'क' में श्री सिंह के विरुद्ध निम्नांकित आरोप गठित किये गये

(i) विशुनपुर प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में अपने पदस्थापन काल में जलधारा योजनान्तर्गत जिले से दिये गये 250 सिंचाई कूपों के लक्ष्य के विरुद्ध आपके द्वारा 300 कूपों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। आपके द्वारा जिला कार्यालय से दिये गये निदेशों की अवहेलना कर लक्ष्य के विरुद्ध अधिक योजनाओं की स्वीकृति दी गई, जिसके चलते राशि के अभाव में योजना लंबित रह गई।

(ii) इसी प्रकार इंदिरा आवास योजना अन्तर्गत जिला स्तर से कुल लक्ष्य 28 निर्धारित किया गया था, परन्तु आपके द्वारा जिला कार्यालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए मनमाने ढंग से 44 इंदिरा आवास की स्वीकृति दी गई, जिसके कारण लक्ष्य के विरुद्ध अधिक योजनाओं स्वीकृत करने के फलस्वरूप राशि के अभाव में बहुसंख्यक योजनाएँ अधूरी रह गई।

(iii) विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित सिंचाई योजना अन्तर्गत जिला स्तर से आपको कोई लक्ष्य संसूचित नहीं किया गया था, परन्तु आपने अपने हठधर्मिता का परिचय देते हुए सभी सरकारी नियमों के उल्लंघन की सीमा पार करते हुए 67 कूपों के निर्माण की स्वीकृति देते हुए इसके लिए 70,000/- रु० का विचलन दूसरे मद से कर अग्रिम का भुगतान किया है, जो वित्तीय अनियमितता को प्रदर्शित करता है।

(iv) सरकार के द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सामग्री के क्रय के लिए जिला स्तरीय समिति गठित है एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित दर पर ही सामग्रियों की आपूर्ति प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा किया जाना नियम संगत है, परन्तु आपके द्वारा अपने निजी लाभ एवं स्वार्थसिद्धी करने के नियत से सरकारी निर्देशों की अवहेलना करते हुए अपने अधिकारी क्षेत्र से बाहर जाकर लाखों रुपये का सिमेंट क्रय किया गया, जिसके चलते सरकारी राशि का अनावश्यक रूप से दुरुपयोग हुआ है।

(v) आपके द्वारा अपने पदस्थापन काल में बिना जिला स्तर से आदेश प्राप्त किये ही श्री एतवा भगत, पंचायत सेवक को 50 वर्ष आयु सीमा पार किये जाने के पश्चात् उन्हें विभागीय परीक्षा से विमुक्ति संबंधी आदेश पारित किया गया है। यह इस बात का द्योतक है कि आपने सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं तथा अपने हठधर्मिता का परिचय दिया है तथा बिना क्षेत्राधिकार के उस अधिकार का इस्तेमाल किया, जो न तो आपको प्रदत्त था और न डेलिगेटेड था।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या-2096 दिनांक 11.04.2008 के द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर अपने पत्रांक-408/गो०, दिनांक 09.12.2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने निष्कर्ष में आरोप संख्या-5 को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

3. आरोपित पदाधिकारी श्री सिंह के बचाव बयान, संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों के समीक्षोपरांत श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-1940, दिनांक 27.02.2012 द्वारा “दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक” का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में रिट याचिका सं०-W.P.(S) No. 2685/2014 दायर की गई, जिसमें माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 27.03.2019 को पारित न्यायादेश में श्री सिंह पर अधिरोपित दण्डादेश को निरस्त करते हुए उन्हें संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करवाते हुए द्वितीय कारण पृच्छा करने का निदेश दिया गया।

4. माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27.03.2019 को पारित उक्त न्यायादेश के अनुपालन में लिये गये निर्णय के आलोक में श्री सिंह के विरुद्ध संकल्प सं-1940, दिनांक 27.02.2012 द्वारा निर्गत दण्डादेश को विभागीय संकल्प सं0-5960, दिनांक 25.07.2019 द्वारा रद्द किया गया तथा विभागीय पत्रांक-6190, दिनांक 01.08.2019 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) में सम्परिवर्तित करते हुए पेंशन नियमावली के नियम-43 (ख) के अन्तर्गत इनके पेंशन से 10% राशि की कटौती तीन वर्षों तक करने के बिन्दु पर कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया।

5. श्री सिंह के पत्र, दिनांक 22.08.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब के समीक्षोपरांत श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए श्री सिंह के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के अन्तर्गत उनके पेंशन से 10% राशि की कटौती तीन वर्षों तक करने संबंधी दण्ड अधिरोपण पर माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड से प्राप्त अनुमोदन एवं झारखण्ड लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के उपरांत विभागीय संकल्प संख्या-589, दिनांक- 28.01.2021 द्वारा श्री उमेश प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त झाप्र०से० (कोटि क्रमांक-360/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विशुनपुर, गुमला के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के अन्तर्गत इनके पेंशन से 10% राशि की कटौती तीन वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित किया गया।

6. उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में रिट याचिका सं०-W.P.(S) No. 2316/2021 दायर की गई, जिसमें माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 22.12.2023 को पारित न्यायादेश में श्री सिंह पर अधिरोपित दण्डादेश को निरस्त कर दिया गया है। उक्त न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

“-----9. From the peculiar facts, it is crystal clear that there is no grave charge against the petitioner and even if it is assumed that the petitioner has given exemption, no pecuniary loss has caused to the Government, as there is no material on record to show that as to how there is loss to the Government exchequer. Admittedly, the concerned employee is entitled for getting exemption upon attaining the age of 50 years

10. With the aforesaid discussions, it can comfortably be said that the ingredients of Rule 43(b) of the Pension Rules is not applicable in the present facts and circumstances of the case and the respondents were not at all authorised to withhold pension and other retiral benefits, in the present facts and situation of the case.

11. As a sequel of the aforesaid rules, guidelines, judicial pronouncements and facts and circumstances, this Court is of the view that the impugned order dated 28.01.2021 (Annexure-9) is not tenable in the eyes of law and as such, the same is hereby quashed and set aside. The respondents are directed to extend all consequential benefit within a period of eight weeks from the date of receipt/production of a copy of this order,

12. Resultantly, the writ petition stands allowed.”

7. WP(S) No-2316/2021 उमेश प्रसाद सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक- 22.12.2023 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध विभाग की ओर से LPA No- 262/2024(Arising Out of WP(S) No-2316/2021) झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम उमेश प्रसाद सिंह दायर किया है जिसमें माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक- 02.07.2024 को पारित न्यायादेश द्वारा उक्त LPA No-262/2024(Arising Out of WP(S) No-2316/2021) को निरस्त कर दिया गया है।

LPA No- 262/2024(Arising Out of WP(S) No-2316/2021) में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक- 02.07.2024 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है-

“-----5. In the aforementioned facts, we do not find any error in the Writ Court's decision to interfere with the order dated 22nd December, 2023 purportedly passed under Rule 43(b) of the Jharkhand Pension Rules, 2000 and, therefore, this Letters Patent Appeal is dismissed.”

8. WP(S) No-2316/2021 उमेश प्रसाद सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक- 22.12.2023 को पारित न्यायादेश एवं LPA No- 262/2024(Arising Out of WP(S) No-2316/2021) में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक- 02.07.2024 को पारित न्यायादेश की समीक्षा की गयी तथा विभागीय संकल्प संख्या- 589, दिनांक- 28.01.2021 द्वारा अधिरोपित 'झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के अन्तर्गत इनके पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) की राशि की कटौती तीन वर्षों तक करने का दण्ड' को विलोपित करने का निर्णय लिया गया है ।

अतः समीक्षोपरांत, विभागीय संकल्प संख्या- 589, दिनांक- 28.01.2021 द्वारा श्री उमेश प्रसाद सिंह सेवानिवृत्त झाप्र०से० (कोटि क्रमांक-360/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विशुनपुर, गुमला के विरुद्ध अधिरोपित 'झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के अन्तर्गत इनके पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) की राशि की कटौती तीन वर्षों तक करने का दण्ड' को विलोपित किया जाता है ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री उमेश प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त झाप्र०से० एवं अन्य संबंधितों को भेज दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के उप सचिव ।
